इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2020

क्रमांक 678 'मप्रविनिआ/2020. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 39 (2) (घ) (एक), 40 (ग) (एक), 66 तथा 86 (1) (ग) तथा 86 (2) (एक) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति का विस्तार और प्रारंभ

(1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक एआरजी–34 (एक) सन् 2020)"** है।

(2) यह संहिता मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. खण्ड 8 में संशोधन

उक्त संहिता में, –

(1) खंड 8 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"8. विचलन प्रभारों के असन्तुलत व्यवस्थापन की प्रक्रिया :

विचलन प्रभारों का कोष सन्तुलन निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाएगा :

(एक) विद्युत् वितरण कम्पनियों {मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.क्षे.), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी (पू.क्षे.), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड (प.क्षे.)} का पूर्व कोष सन्तुलन (प्रि पूल बैलेंसिंग) कुल विचलन प्रभारों हेतु किया जाएगा । विद्युत् वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों (देय/प्राप्य) का दिवस स्तर पर मिलान किया जाएगा।

(दो) निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (ओ ए सी) को छोड़कर, समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का कोष सन्तुलन (दीर्घ अवधि के अन्तर्गत) किया जाएगा।

(तीन) निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (ओ ए सी) तथा वे विद्युत् उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) अन्तःक्षेपित करते हों, को सम्मिलित करते हुए, समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का कोष सन्तुलन (दीर्घ अवधि के अन्तर्गत) किया जाएगा।

(2) विद्यमान् परिशिष्ट–1 के स्थान पर, इस संशोधन के साथ संलग्न परिशिष्ट – 1 स्थापित किया जाए ।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.

परिशिष्ट–1

राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों पर असंतुलन व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया

उदाहरण

चरण–1 राज्यीय विद्युत कम्पनियों (म.क्षे.,पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व कोष सन्तुलन (प्रि पूल बैलेंसिंग) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के खण्डवार विचलन प्रभारों, परिसीमा प्रभारों (कैपिंग चार्जेज) तथा अतिरिक्त प्रभारों की गणना सप्ताह/माह के अन्त में की जाएगी। दिवस हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे.,पू. क्षे. एवं प.क्षे.) द्वारा कुल विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभारों को देय/प्राप्य बनाये जाने के लिये खण्डवार विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) प्रभारों, परिसीमा प्रभारों तथा अतिरिक्त प्रभारों को दिवस स्तर पर जोड़ा जाएगा।

विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के कुल विचलन प्रभार (सप्ताह/माह के किसी प्रदत्त दिवस के लिये)

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	3000	डी 1	4500
डी 3	2000		
कुल देय रकम	**5000**	**कुल प्राप्य रकम**	**4500**
जहां			
डी 1, डी 2, डी 3 क्रमशः राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. तथा प.क्षे.) हैं			

इस प्रकार राज्य विचलन कोष को/से प्राप्त रकम का किसी प्रदत्त दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। अतएवं इनके मिलान हेतु "कुल देय राशि" तथा "कुल प्राप्य राशि" के औसत को आधार मानकर देय/प्राप्य रकमों का औसत से मिलान किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में यदि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियां (म.क्षे., पू.क्षे. तथा प.क्षे.) किसी प्रदत्त दिवस हेतु देय या प्राप्य श्रेणियों में आती हों तो वह विद्युत वितरण कम्पनी जो न्यूनतम विचलन प्रभारों को यथास्थिति "प्राप्य अथवा देय" निरूपित किया जाएगा तथा कोष सन्तुलन किया जायेगा।

विवरण	कुल देय रकम	कुल प्राप्य रकम
कुल रकम (रूपये में)	5000	4500
"कुल देय रकम" तथा "कुल प्राप्य रकम" का औसत (रूपये में)	4750	
समायोजन अनुपात # एआरपी1 (=औसत/कुल देय रकम) (रूपये में)	0.950000	
समायोजन अनुपात # एआरआर1 (=औसत/कुल देय रकम) (रूपये में)	1.055556	

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा देय रकम			
सहभागीगण	मूल देय रकम (रूपये में)	समायोजन अनुपात एआरपी1	समायोजित देय रकम (रूपये में)
डी 2	3000	0.950000	2850
डी 3	2000	0.950000	1900
कुल देय रकम	**5000**		**4750**

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्य रकम			
सहभागीगण	मूल प्राप्य रकम (रूपये में)	समायोजन अनुपात एआरआर1	समायोजित प्राप्य रकम (रूपये में)
डी 1	4500	1.055556	4750
कुल प्राप्य रकम	**4500**		**4750**

परिशिष्ट–1

राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व कोष सन्तुलन			
सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	2850	डी 1	4750
डी 3	1900		
कुल देय रकम	**4750**	**कुल प्राप्य रकम**	**4750**

चरण–2 {समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का कोष सन्तुलन (दीर्घ अवधि के अन्तर्गत), निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर}

चरण–1 से प्राप्त किये गये विद्युत वितरण कम्पनियों के दिवसवार कुल विचलन प्रभारों को लिया जाएगा तथा अन्य दीर्घ अवधि राज्यान्तरिक इकाईयों के कुल विचलन प्रभारों को क्षेत्रीय (रीजनल) रकम (देय/प्राप्य) के साथ सम्मिलित किया जाएगा तथा कोष सन्तुलन किया जाएगा । अन्य राज्यान्तरिक इकाईयों के खण्डवार विचलन प्रभारों, परिसीमा प्रभारों (वेपिंग चार्जेज) तथा अतिरिक्त प्रभारों को जोड़ा जाएगा ताकि प्रत्येक सहभागी के लिये दिवस हेतु देय/प्राप्य कुल विचलन व्यवस्थापन किया विधि प्रभारों को तैयार किया जा सके। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिवसवार देय/प्राप्य कुल क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन रकम पश्चिमी क्षेत्रीय ऊर्जा समिति (डब्ल्यूआरपीसी) द्वारा तैयार किये गये क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाते (रीजनल डीएसएम अकाऊन्ट) से प्राप्त की जाएगी।

राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष खाता (सप्ताह/माह के किसी दिवस के लिये)

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	2850	डी 1	4750
डी 3	1900	एराएसजीएरा 3	3500
एसएसजीएस 1	3500	क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) रकम	3000
एसएसजीएस 2	1500		
कुल देय राशि	**9750**	**कुल प्राप्य रकम**	**11250**
जहां एसएसजीएस1, एसएसजीएस2, एसएसजीएस3 राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं			
क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) रकम मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य है।			
इस प्रकार राज्य विचलन कोष को/से प्राप्त रकम का किसी प्रदत्त दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। अतएवं इनके मिलान हेतु "कुल देय राशि" तथा "कुल प्राप्य राशि" के औसत को आधार मानकर देय/प्राप्य रकमों का औसत से मिलान किया जाएगा।			

विवरण	कुल देय रकम	कुल प्राप्य रकम
कुल रकम (रूपये में)	9750	11250
"कुल देय रकम" तथा "कुल प्राप्य रकम" का औसत	10500	
समायोजन अनुपात # एआरपी1 (=औसत/कुल देय रकम)	1.076923	
समायोजन अनुपात # एआरआर1 (=औसत/कुल देय रकम)	0.933333	

प्रथम प्रक्रम समायोजन

सहभागियों द्वारा देयक रकम–प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	मूल देय रकम (रूपये में)	समायोजन अनुपात एआरपी	समायोजित देय रकम (रूपये में)
डी 2	2850	1.076923	3069
डी 3	1900	1.076923	2046
एसएसजीएस 1	3500	1.076923	3769
एसएसजीएस 2	1500	1.076923	1615
कुल देय रकम	**9750**		

परिशिष्ट–1

सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम–प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	मूल प्राप्य रकम	समायोजन अनुपात एआरआर1	समायोजित देय रकम
डी 1	4750	0.933333	4433
एसएसजीएस 3	3500	0.933333	3267
क्षेत्रीय डीएसएम राशि	3000	0.933333	2800
कुल प्राप्य राशि	**11250**		**10500**

चूंकि क्षेत्रीय डीएसएम रकम को बिना किसी समायोजन के भुगतान किया जाना चाहिए, ऐसे में "वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम" तथा "समायोजित डीएसएम रकम" के अन्तर की वसूली शेष सहभागियों से उनकी मूल रकमों के अनुपात में की जानी चाहिए।

समायोजित 'क्षेत्रीय डीएसएम रकम' तथा 'वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम' का अन्तर	2800–3000=–200
कुल मूल प्राप्य रकम, वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम को छोड़कर	11250–3000=8250
प्राप्यों हेतु समायोजन अनुपात एआरआर2	–200 / 8250=–0.024242

द्वितीय प्रक्रम समायोजन

सहभागीगण	मूल प्राप्य रकम	समायोजन अनुपात एआरआर2	समायोजित प्राप्य रकम
डी 1	4750	–0.024242	–115
एसएसजीएस 3	3500	–0.024242	–85
कुल प्राप्य रकम	**8250**		**–200**

सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम (सप्ताह में प्रदत्त दिवस हेतु)–अन्तिम			
सहभागीगण	प्रथम समायोजन के पश्चात रकम	द्वितीय समायोजन राशि	कुल (अन्तिम) समायोजित राशि
डी 1	4433	–115	4318
एसएसजीएस 3	3267	–85	3182
क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000	0	3000
कुल प्राप्य रकम	**10700**	**–200**	**10500**

दीर्घ अवधि इकाईयों का सन्तुलित राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) कोष खाता

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	3069	डी 1	4318
डी 3	2046	एसएसजीएस 3	3182
एसएसजीएस 1	3769	क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000
एसएसजीएस 2	1615		
कुल प्राप्य रकम	**10500**	**कुल प्राप्य रकम**	**10500**

चरण–3 (प्रक्रम प्रथम तथा द्वितीय)

चरण–2 में सन्तुलित डीएसएम कोष खाता प्राप्त करने के पश्चात्, निर्बाध (खुली) पहुंच विद्युत उत्पादकों / निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (लघु अवधि के अन्तर्गत) तथा विद्युत उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) को अन्तःक्षेपित कर रहा हो, को सम्मिलित किया जाएगा तथा इसी क्रियाविधि को आगे चरण–2 के अनुरूप अन्तिम सन्तुलित डीएसएम खाता प्राप्त करने हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा।